उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226 001

संख्याः 2085—औ0सं0/08—11(44)ए0एस0/02 दिनांकः 6 जून, 2008

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 3233—औ0सं0—17/पाकालि/2003—11(44)ए0एस0/2002, दि0 26.06.03 द्वारा श्रवण यन्त्र एवं कृत्रिम दन्तावली क्रय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नवत् अधिकतम लागत सीमा निर्धारित की गई है:—

(क)	श्रवण यन्त्र		रू0 2,000/— (रूपया दो हजार) मात्र
(ख)	कृत्रिम दन्तावली	1.	पूर्ण दन्तावली रू0 2,000/— (रूपया दो हजार) मात्र
		2.	1/2 दन्तावली रू0 1,000/— (रूपया एक हजार) मात्र
		3.	1/4 दन्तावली रू0 500/— (रूपया पॉच सौ) मात्र

2. श्रवण यन्त्र की सुविधा सेवा/सेवानिवृत्त के उपरान्त तथा कृत्रिम दन्तावली की सुविधा सेवानिवृत्त के उपरान्त केवल एक बार ही अनुमन्य की गई है।

एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से उक्त श्रवणयन्त्र एवं कृतिम दन्तावली के बीजकों को स्वीकृति करने का अधिकार सम्बन्धित वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को प्रदान किये जाते है। कारपोरेशन के उक्त आदेश के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

प्रबन्ध निदेशक

सं0—2085(1)औ0सं0/2008 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित का प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, कानपुर।
3. समस्त मुख्य अभियंता (डिस्काम)/मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रस्तुत कि वे कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को अपने स्तर से ससूचित करने का कष्ट करें।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति—प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. समस्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव प्रशासनिक/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. कट फाइल।

भवदीय,

6/6/08

(अशोक कुमार)
उप महाप्रबंधक (औ0स0)